न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
25 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	23.02.2016	23.09.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री तुलसी चन्दलानी पुत्र श्री कन्हैयालाल चन्दलानी जाति सिन्धी निवासी 138, सिन्धी कॉलोनी झिलाई रोड निवाई एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री श्याम ज्यूस सेन्टर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
2—मैसर्स श्री श्याम ज्यूस सेन्टर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
3—श्री देवराज गुर्जर पुत्र श्री रामफूल गुर्जर प्रोपरायटर मैसर्स प्रिन्स एजेन्सीज नगरपालिका के सामने जमात निवाई जिला टोंक
4—मैसर्स प्रिन्स एजेन्सीज नगरपालिका के सामने जमात निवाई जिला टोंक

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार उप.।
2—अभिभाषक अप्रार्थी श्री विक्रम जैन उप.।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 23.09.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.05.2015 को समय 12:30 पीएम पर मैसर्स श्याम ज्यूस सेन्टर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री तुलसी चन्दलानी पुत्र श्री कन्हैयालाल चन्दलानी मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री तुलसी चन्दलानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान के फ्रीजर में 1.5 लीटर पैक की लगभग 50 बोतल पैक्ड अवस्था में **फ्रूट ड्रिन्क (माजा ब्राण्ड)** रखी हुई थी, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री तुलसी चन्दलानी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री तुलसी चन्दलानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **फूट ड्रिन्क (माजा ब्राण्ड)** जिसका बैच नम्बर बी.एन.ई.06.ए.1.डी.11 एवं पैकिंग की दिनांक 08.05.2015 थी वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1.5 लीटर पैक की चार बोतल मूल पैक खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **फूट ड्रिन्क (माजा ब्राण्ड)** 1.5 लीटर पैक की चार बोतल मूल पैक को एक एक बोतल के बराबर-बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारो भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1015 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. फॉर्म की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलप नं. आई–1015 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री तुलसी चन्दलानी पुत्र श्री कन्हैयालाल चन्दलानी मैसर्स श्री श्याम ज्यूस सेन्टर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी बिल प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहे जाने के उपरान्त प्रोपरायटर मैसर्स श्री श्याम ज्यूस सेन्टर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर बतौर वारन्टी मैसर्स प्रिन्स एजेन्सीज नगरपालिका के सामने जमात निवाई जिला टोंक का वारन्टी बिल की छायाप्रति प्रस्तुत कर उपरोक्त पेय पदार्थ माजा क्रय करना बताया जिसे आवेदक द्वारा पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये लेकिन कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/3039 दिनांक 27.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./1125/एक्ट/2015/819 दिनांक 23.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **फूट ड्रिन्क (माजा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 30.09.2016 को श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। दिनांक 18.08.2022 को जवाब पेश किया एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दिनांक 23.08.2022 को अभिभाषक उपस्थित हुए एवं बहस हेतु निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगणों पर न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फ्रूट ड्रिन्क (माजा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगणों को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **फ्रूट ड्रिन्क (माजा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 35,000/– (अक्षरे पैंतीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0